ओम प्रकाश बनाम् राजस्थान राज्य।

(एकलपीठ दाण्डिक विविध तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6833//2006)

2.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री सुरेश गोयल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री आर.पी. कुलदीप, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया है कि प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। उनका यह भी तर्क है कि यदि अभियोत्री के कथनों को यथावत मान भी लिया जावे तो भी प्रार्थी के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 से अधिक का आरोप स्थिर नहीं रहता। लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी तथा सुयोग्य लोक अभियोजक को सुना गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत अभिव्यक्त किए बिना, प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में,विशेषत: इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में तथा प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। मैं, प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए, प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र जगन्नाथ विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार 30,000/- (अक्षरे तीस हजार) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व उसी राशि की एक सुदृड़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा तथा यदि प्रार्थी अन्य किसी प्रकरण में वांछित

न हो तो उसे अविलम्ब उपरोक्तानुसार जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)